झारखंड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक– 7/वर्षा०वृ०-09/16 2209 रांची, दि०– 25/05/17

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची ।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य०प्रति०, झारखंड ,रांची ।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्य० निदेशक, बं०भू०वि०बो०, झारखंड,रांची।
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, झारखंड ।
सभी वन संरक्षक, झारखंड ।
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड ।

विषयः– औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति देते समय दोगुणा वृक्ष लगाने की शर्त के साथ ही अनुमति देने के संबंध में ।

महाशय,

राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के कारण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में यदि किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु उस औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक हो तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस शर्त के साथ वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की जाएगी कि संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा पातित वृक्षों की संख्या के दो गुणा वृक्ष प्रजाति के पौधों का रोपण अपने खर्च पर सुनिश्चित किया जाएगा तथा उनके परिपक्व होने तक उनके पोषण एवं सुरक्षा का दायित्व संबंधित औद्योगिक इकाई का होगा।

कृपया आदेश का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

24/5

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।